

भारत में व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास

अर्थ / स्वरूप :-

व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास एक दूसरे से अंतर्लिखित अवधारणाएँ हैं।

जहाँ व्यवसायिक शिक्षा के अंतर्गत दी जाने वाली शिक्षाओं शामिल किया गया है जैसे इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, बी.बी.ए., एम.बी.ए. आदि। वहीं कौशल विकास के अंतर्गत किसी विशिष्ट विद्यालय में प्रशिक्षण के द्वारा व्यावहारिक कौशलता एवं दक्षता को विकसित करने का प्रयास किया जाता है।

जैसे → मोमबत्ती बनाने का प्रशिक्षण, साबुन बनाने का प्रशिक्षण आदि।

- भारत में तीन स्तरों पर व्यवसायिक शिक्षा प्रदान की जाती है,

- (i) स्नातक एवं स्नातकोत्तर विशेषज्ञ
- (ii) डिप्लोमा विशेषज्ञ
- (iii) आई.टी.आई. विशेषज्ञ तथा विभिन्न केन्द्रों द्वारा कौशल विकास का प्रशिक्षण।

- CBCE द्वारा 34 व्यवसायिक पाठ्यक्रम तथा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा 82 व्यवसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम का संचालन किया जाता है।

- भारत में 20 विद्यालयों द्वारा औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से व्यवसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराया जाता है।
- 2014 में कौशल विकास हेतु एक पृथक मंत्रालय का गठन किया गया है जिसका नाम है उद्योगिता एवं कौशल विकास मंत्रालय
- NEP, 2020 में कक्षा 6 से व्यवसायिक शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव और कौशल विकास पर विशेष बल देने का प्रस्ताव शामिल किया गया है।

चुनौतियों / समस्याएँ :-

- मात्रात्मक कमी। विस्तार की कमी
(34 करोड़ युवाओं की तुलना में संस्थानों की कमी)
- गुणात्मक कमी (स्वरीय संस्थान, स्वरीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण तथा वैश्विक मानकों एवं विश्व बाजार से अनुरूपता का अभाव)
- अव्यवहारिक स्वरूप
(स्कूली शिक्षा से जुड़ाव नहीं है, NEP, 2020 में प्रयास प्रारम्भ)
- विकेन्द्रित स्वरूप - (24 मंत्रालयों द्वारा संचालन फलतः समन्वय की स्थापना)

नवम्बर 2014 में कौशल विकास एवं उद्योगिता मंत्रालय का गठन और NEP 2020 से केन्द्रीयकरण पर बल।

(v) बाजार प्रबंधन का अभाव।

(vi) क्षेत्रीय लैंगिक एवं अन्य प्रकार की विषमता

(vii) भ्रष्टाचार की समस्या।

व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास के उत्थान हेतु किए गये प्रयास :-

- माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण योजना, 1988/2011

- व्यवसायिक शिक्षा मिशन, 2006

[1000 नये IIT एवं पालीटेक्निक संस्थान,
10000 व्यवसायिक विद्यालय तथा 50 हजार कौशल
विकास केन्द्र खोलने का लक्ष्य]

* 2008 में राष्ट्रीय कौशल विकास प्रारम्भ।

- 2022 तक 50 करोड़ लोगों को कुशल श्रमिक
की श्रेणी में लाना और जो कुशल
श्रमिक हैं उनकी कुशलता में 30% तक
वृद्धि करना।

इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय कौशल
विकास निगम (NSIC) की स्थापना, जो PPP
के रूप में कार्य करेगी।

- राष्ट्रीय कौशल विकास नीति, 2009

(इस नीति के तहत 2009 में "कौशल विकास
पहल" को प्रारम्भ किया गया।

- जन शिक्षण संस्थान, 2013
(निरक्षर और स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु जन शिक्षण संस्थान की स्थापना और 394 व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में कौशल विकास का प्रशिक्षण।)
- अल्पसंख्यकों के लिए सीखो और कमाओ योजना, 2013 तथा उस्ताद योजना, 2015।
- राष्ट्रीय युवा नीति, 2012
(वर्तमान परिवेश में भारतीय युवाओं को वर्गीकृत करना उनकी अलग-अलग आवश्यकताओं की पहचान कर और उनकी समाप्ता समाधान के उपायों की रूप रेखा तैयार करना, ताकि देश में मानव संसाधन का समुचित विकास किया जा सके।)
- सीखते हुए कमाएँ योजना, 2012

↓
PDF Notes

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, 2015

- 2016 से 2020 तक 1 करोड़ युवाओं को कौशल विकास करके उन्हें रोजगार के लिए तैयार करना।
- PMKVY 2.0, 2015
- PMKVY 3.0, 2021
- PMKVY 4.0, 2023/24

PDF Notes

पूर्व शिक्षा की मान्यता योजना, 2020

- NSDC द्वारा भारम्भ जिसका उद्देश्य किसी व्याक्ति के मौल्यदा कौशल, ज्ञान एवं अनुभव का मूल्यांकन करना और उसे विशेष प्रशिक्षण भी कराना। वैश्वीक मांगों के अनुरूप बनाना और मान्यता प्रदान करना।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेला, 2023

- प्रतिवर्ष 15 लाख युवाओं को प्रशिक्षु के माध्यम से प्रशिक्षण का प्रभास करना और उन्हें रोजगार के लिए अवसर प्रदान करना।

प्रधानमंत्री इंटरनशिप योजना, 2024

इस योजना के तहत 2024 वर्ष के वे युवा जो पूर्ण कालिक रोजगार नहीं करते हैं और पूर्णकालिक शिक्षा प्राप्त नहीं करते हैं उनका चयन करके देश के Top 500 कंपनियों में इंटरनशिप का अवसर प्रदान करना और पांच वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को कौशल विकास से प्रशिक्षित कराना।

समीक्षा एवं सुझाव :-

निश्चित रूप से उपरोक्त प्रयासों के परिणाम स्वरूप भारत में व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास के क्षेत्र में पुगति हुई है जो वैश्वीकरण के वर्तमान दौर में

84 करोड़ युवा आबादी रोजगार सृजन के लिए आवश्यक है।

परन्तु अभी भी अपेक्षित लक्ष्य से दूर है क्योंकि इस क्षेत्र में मात्रात्मक कमी, गुणात्मक कमी एवं विषमता आज भी बनी है, इसलिए आवश्यक है कुछ सुझावों पर अमल करने की-

- (i) PPP मॉडल पर बल देते हुए व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास पर विचार किया जाए और मात्रात्मकता की कमी को दूर किया जाए।
- (ii) समुचित विनिर्माण एवं संबंध के द्वारा इस शिक्षा एवं प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार किया जाए। इस दिशा में प्रधानमंत्री रन्वैशिय मोड़ना 2024 अधिक कारगर हो सकती है।
- (iii) इस क्षेत्र में व्याप्त विषमता को कम किया जाए और इसके लिए चल रही योजनाओं को समुचित रूप से लागू किया जाए।
- (iv) इस दिशा में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को वैश्विक बाजार और वैश्विक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाए।
- (v) समुचित बाजार प्रबंधन द्वारा प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जाए ताकि युवा इन सरकारी योजनाओं के तहत प्रदत्त शिक्षा एवं प्रशिक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रेरित हो सकें।